कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-358/2023 दिनांक-08.11.2023

प्रेस- नोट

थाना- कोतवाली

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास – वादिनी/पीड़िता थाना-गगहा, जिला-गोरखपुर वर्तमान पता थाना कोतवाली, जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी चन्दन पुत्र रामसमुझ निवासी ग्राम टड़वा चौबेपुर, थाना- मुहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा वादिनी/पीड़िता के घर टीवी बनाने आया। इसके बाद बार-बार फोन से पीड़िता से सम्पर्क बनाने लगा। एक दिन जून माह में दिनांक 07:06:2023 को वादिनी के घर रात्रि 12 बजे वादिनी के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लिल वीडियो बना लिया और इसके बाद आये दिन वादिनी से पैसे की मांग करता रहा और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए कहता था कि अगर किसी से कहोगी तो तुम्हे जान से मार दूंगा। प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 618/23 धारा 376,386,504 भादवि व 3(2)V एससी एसटी एक्ट बनाम चन्दन उपरोक्त पंजीकृत हुआ। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक-08.11.2023 को प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चंदन पुत्र रामसमुझ साकिन टढ़वा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को अनन्तपूरा मुहल्ले में हनुमानगढ़ी मदिर के पास से समय 9.55 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 618/23 धारा 376,386,504 भादवि व 3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त- चंदन पुत्र रामसमुझ साकिन टढ़वा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- एक मोबाईल बरामद।

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

जिलाबदर अपराधी अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 19.10.2023 को धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ के आदेश दिनांक 19.10.2023 द्वारा 06 माह के लिए जनपद की सीमाओ को छोड़कर बाहर रहने और जनपद की सीमा मे प्रवेश न करने के लिए आदेश पारित हुआ था किन्तु अभियुक्त फैय्याज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ अनधिकृत रूप से जनपद मे ही निवास कर रहा था। जिसके विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 08.11.2023 को चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चिवटही से जिला बदर अभियुक्त फैय्याज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को एक अदद चाकू के साथ समय करीब 10.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 539/2023 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 बनाम फैय्याज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ व मु0अ0सं0 540/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम फैय्याज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही व0उ0नि0 श्री सुरेश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 540/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:- फैय्याज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम चिवटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण:- एक अवैध चाकू ।

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 910/2010 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 79/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 154/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 276/2021 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 278/2021 धारा 3/7/25 आयुध अधि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 131/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 182/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 539/2023 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 540/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्रभारी चौकी कस्बा उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–बदरूद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान ग्राम अहरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 29.06.2023 को 3(1)गुण्डा नियत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी थी अभियुक्त बदरूद्दीन पुत्र मन्नान निवासी ग्राम अहिरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व) आजमगढ़ द्वारा दिनांक 22.09.2023 को जिलाबदर का आदेश जारी किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– दिनांक 07/11/2023 को उ0नि0 अनिल कुमार मय हमराह द्वारा जिलाबदर अपराधी बदरूद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान ग्राम अहरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 19.00 बजे अभियुक्त के घर ग्राम अहिरौली से हिरासत पुलिस मे लिया गया गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 725/23 धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना जीयनपुर आजमगढ़ बनाम बदरूद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान ग्राम अहरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ0नि0सुरेन्द्र प्रताप द्वारा सम्पादित कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 725/23 धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- अभियुक्त बदरूद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान ग्राम अहरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 153/2018 धारा 147/148/149/504/506भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

2.मु0अ0स0 38/2023 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

3.मु0अ0स0 295/2023 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- 1.उ0नि0 अनिल कुमार मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना- अहरौला

थाना अहरौला क्षेत्र में हुई हत्या व लूट की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में 03 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 15.10.2023 को वादी श्रीनारायण मिश्र पुत्र काशीनाथ मिश्र निवासी कपरीपार थाना भईल जनपद देवरिया द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी का पुत्र दुर्गेश कुमार मिश्र उम्र 24 वर्ष जो प्रयागराज में 02 वर्ष से गाड़ी चलाने का काम करता था जिसका फोन दिनांक 14.10.2023 की सुबह से स्विच आफ आ रहा था जिससे खोजबीन में वादी को पता चला कि वादी के पुत्र के शव की फोटो पेपर में छपी हुई है जिसे आजमगढ़ मोर्चरी में रखा गया है। वादी द्वारा आजमगढ़ मोर्चरी में जाकर देखा गया तो उन्हें पता चला की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर शव को बरामदपुर पुलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के पास फेंक दिया गया था। लिखित तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 335/23 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 394/411/34 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

उपरोक्त घटनास्थल का पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए टीमें गठित कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

➡ दिनांक- 04/11/2023 को पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र मृत्युंजय सिंह निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ सहित 03 अभियुक्त (1.नवनीत सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी बहुआरा थाना बैरिया जनपद बलिया 2.निशान्त सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी कबिलहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़) गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- दिनांक 08.11.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमरहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शैलेष सिंह उर्फ सोनू पुत्र सुरेश सिंह सा0 बीबीपुर वाजिदपुर थाना विरनो जनपद गाजीपुर को सिक्स लेन सर्विस रोड शमशाबाद के निकट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 335/23 धारा 302 भादवि में धारा 394/411/34 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.शैलेष सिंह उर्फ सोनू पुत्र सुरेश सिंह सा0 बीबीपुर वाजिदपुर थाना विरनो जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

आईजी महोदय आजमगढ़ ने नवीनीकृत पुलिस क्लब का किया उद्घाटन

आज दिनांक- 08.11.2023 को पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार द्वारा नवीनीकृत पुलिस क्लब, रिजर्व पुलिस लाइन, आजमगढ़ का उद्घाटन किया गया। जिसमें 25 निरीक्षक/उप-निरीक्षक के रहने की व्यवस्था है। मेस, आरओ व अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीनीकृत पुलिस क्लब को बनाया गया है। उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरूण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजुद रहें ।

41वीं अन्तर-जनपदीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता 2023 वाराणसी जोन का समापन; फाइनल में जनपद आजमगढ़ विजेता तथा कमिश्नरेट वाराणसी उपविजेता

➡आज दिनांक- 08.11.2023 को 41वीं अन्तर-जनपदीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता 2023 वाराणसी जोन का समापन पुलिस महानिरीक्षक श्री अखिलेश कुमार द्वारा पुलिस लाईन्स आजमढ़ में विजेता टीम के खिलाड़ियो को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया।

➡दिनांक- 06.11.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ के प्रांगण में वाराणसी जोन के अन्तर्गत 41वीं अन्तर-जनपदीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता- 2023 का आयोजन का उद्घाटन किया गया था।

➡ 03 दिवसीय प्रतियोगिता दिनांकः 06.11.2023 से 08.11.2023 तक चली, जिसमें वाराणसी जोन के कुल 09 जनपदों के कुल 80 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। जनपद आजमगढ़ से 14, जौनपुर व गाजीपुर से 11-11, कमिश्नरेट वाराणसी व मिर्जापुर से 09-09, सोनभद्र व भदोही से 08-08 तथा जनपद मऊ व बलिया से 05-05 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया गया था।

पुरूष वर्ग में-

डबल ओपन में फाइनल विजेता टीम जनपद आजमगढ़ के रवि कुमार गुप्ता व दिनेश सिंह तथा उपविजेता जनपद वाराणसी रही।

ओपन सिंगल में फाइनल विजेता टीम जनपद वाराणसी के गोविन्द यादव तथा उपविजेता जनपद सोनभद्र रही।

महिला वर्ग में-

डबल ओपन में फाइनल विजेता टीम जनपद गाजीपुर के आकांक्षा बौद्ध व स्मिता तथा उपविजेता जनपद आजमगढ़ रही।

ओपन सिंगल में फाइनल विजेता टीम जनपद गाजीपुर के आकांक्षा बौद्ध तथा उपविजेता जनपद सोनभद्र रही।

45 + वेटरन्स में-

डबल ओपन में फाइनल विजेता टीम जनपद वाराणसी के सीओ राजकुमार सिंह व राकेश सोनी तथा उपविजेता जनपद आजमगढ़ रही।

ओपन सिंगल में फाइनल विजेता टीम जनपद वाराणसी के बृजेश सिंह तथा उपविजेता जनपद आजमगढ़ रही।

मिक्स डबल में-

डबल ओपन में फाइनल विजेता टीम जनपद गाजीपुर के विनित चौधरी व आकांक्षा बौद्ध तथा उपविजेता जनपद आजमगढ़ रही।

राजपत्रित अधिकारी में-

डबल ओपन में फाइनल विजेता टीम जनपद वाराणसी के सीओ राजकुमार व गोविन्द यादव तथा उपविजेता जनपद आजमगढ़ रही।

➡ इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरूण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा के साथ अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।